माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय

भीलवाड़ा (राज.)

विवरणिका

2022-23

प्राचार्य सन्देश

प्रिय विद्यार्थियों

उच्च शिक्षा विद्यार्थी के व्यक्तित्व के भौतिक और नैतिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण सोपान होता है। वस्तुतः यह मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाकर उसके मनुष्यत्व में निखर लाता है। नए सत्र में आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं कि आपने राज्य के प्रसिद्ध एवं अग्रणी महाविद्यालयों में से एक माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय को चुना है। यह महाविद्यालय समृद्ध परम्पराओं और अकादमिक विशिष्टताओं से लैस है। इनके बीच जीवन के कुछ वर्ष बिताना आपको अपनी आकांक्षाओं की सफलता को ऊँचाई तक ले जाएगा।

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में निहित होता है। आपके इस विकास के लिए महाविद्यालय में शैक्षणिक और सह–शैक्षिणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियों का मंच मुहैया कराया जाता है। अपने सकारात्मक दृष्टिकोण व सार्थक पहल से आप यहाँ के उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग कर बुलंदियों तक जा सकेंगे।

जीवन में सफलता के रास्ते का कोई शॉर्टकट नहीं होता। किसी भी प्रकार की सफलता के लिए कठोर परिश्रम, त्याग और गहन समर्पण के साथ ही साथ अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो यह महाविद्यालय परिवार आपको पूर्ण सहयोग दे सकेगा। यहाँ आपकी हर समस्या का समाधान सार्थक संवाद के माध्यम से करने की परम्परा है।।

मझे विश्वास है कि आप महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों से अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर इस महाविद्यालय की गरिमा और इसके अकादमिक स्तर को और ऊपर उठाएँगे। आप कोई ऐसा काम न करें, जिससे महाविद्यालय की छवि या समाज को ठेस पहुंचे।

नवीन सत्र में हम सभी मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिससे आनेवाली पीढियाँ हम पर गर्व करें। इसी आशा के साथ आप को पुनः हार्दिक शुभकामनाएँ।

माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय
भीलवाड़ा (राजस्थान)

विवरणिका

2022–23

प्रकाशक

माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय

भीलवाड़ा–311001(राज.)

दूरभाष :(01482–239970 फैक्स:(01482–231810)

Website: **http://www.mlvgc.rajasthan.gov.in**

Email mlv1_bhilwara@yahoo.co.in

प्रो.चेतना सहल

प्राचार्य

आवश्यक सूचना

यद्यपि इस विवरणिका में सभी सरकारी आदेशों, नियमों, सूचनाओं को प्रकाशित करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी विसंगति होने पर मूल आदेशों, नियमों, सूचनाओं को ही अधिकृत माना जाये.

विवरणिका में संकलित सामग्री में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्द्धन, विलोपन आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार किया जा सकेगा.

अनुक्रमणिका

महाविद्यालय परिचय
विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश
प्रवेश विधि
सीट मेट्रिक्स
स्नातक स्तर पर उपलब्ध पाठयक्रम
स्नातकोत्तर स्तर पर उपलब्ध पाठयक्रम
शोध सुविधा
शुल्क तालिका
राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ
सहशैक्षणिक गतिविधियाँ
1. राष्ट्रीय सेवा योजना
2. एन. सी.सी.
3. रोवर स्काउटिंग
4. खेलकूद
5 योजनामंच
6. स्नातकोत्तर परिषद्

छात्रोपयोगी सुविधायें
1. प्लेसमेण्ट एवं कैरियर गाइडेंस सेल
2. मानव अधिकार क्लब
3. छात्र परामर्श ब्यूरो विद्यार्थी मार्गदर्शन परामर्श, Student Help Desk
4.महिला प्रकोष्ठ
5. उपभोक्ता मंच
6. रेड रिबन क्लब
7. ईको क्लब
8. गांधी अध्ययन केन्द्र
9. उडान योजना
10. आवाज दो(स्पीक अप) क्लब
11.विद्यार्थी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
12. महिला उत्पीड़न निवारण समिति
13.**अनुसूचित जाति एवं जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम**
14.महाविद्यालय पत्रिका एवं बुलेटिन
15.दूरस्थ शिक्षा केन्द्र

महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधायें
1. पुस्तकालय
   - बुक बैंक
   - सामुदायिक पुस्तकालय
   - इनफिलिब नेट
2.महाविद्यालय छात्रावास
3.जलपानगृह

विभिन्न कक्षाओं के प्रभारी परामर्शदाता
समय सारणी
महाविद्यालय का मानचित्र
महाविद्यालय परिवार

महाविद्यालय : एक परिचय

माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय दक्षिण पूर्वी राजस्थान का एक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थान है. महाविद्यालय का विशाल परिसर शहर के मध्य लगभग 21.30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है. 1951–52 में इन्टर कॉलेज के रूप में स्थापित इस महाविद्यालय में 1956 में स्नातक स्तर की कक्षाओं का अध्यापन कार्य आरंभ हुआ. सन 1968 में सर्वप्रथम भौतिकशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर कक्षाऐं प्रारंभ हुई. आज 16 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन कार्य हो रहा है.

प्रारंभ में यह महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबद्व था. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना(1988) के बाद से ही यह उससे संबद्व हैं. निरन्तर प्रगति के सोपान चढ़ते हुए आज इस महाविद्यालय में 16 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन की सुविधाओं के साथ, वाणिज्य संकाय में दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम तथा भौतिकशास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषयों में एम.फिल. के अध्ययन के अवसर उपलब्ध है.

महाविद्यालय के विशाल परिसर में 70 कक्षा–कक्षों के अतिरिक्त भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भूगोल, कम्प्यूटर विभागों एवं ज्ञान केन्द्र में सुव्यवस्थित और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाऐं कार्यरत हैं. परिसर में ही 1.30 लाख पुस्तकों वाला पुस्तकालय संचालित है. इसमें समसामयिक पत्र–पत्रिकाओं के अलावा सभी विषयों की शोध पत्रिकाएँ मंगायी जाती है.

खेलकूद गतिविधियों हेतु खेल के मैदान, 400 मीटर ट्रेक, बास्केट बॉल, हैंड बॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, एवं बेडमिंटन व वेटलिफ्टिंग के इनडोर गेम्स हॉल की सुविद्या विद्यमान है. वनस्पतिशास्त्र विभाग द्वारा मनोरम वनस्पति उद्यान भी संचालित है. 120 छात्रों के लिए आवास हेतु सुविधाजनक छात्रावास भवन है. महाविद्यालय के भौतिक एवं ढांचागत विस्तार का कार्य निरन्तर प्रगति पर है.

नियमित रूप से अध्ययन न कर पाने वाले विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने हेतु महाविद्यालय परिसर में इंदिरा गाँधी खुला विश्वविद्यालय, दिल्ली, व वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा का अध्ययन केन्द्र भी संचालित हो रहा है.

नवीनतम उपलब्धि के रूप में राज्य सरकार ने इस महाविद्यालय को 'आदर्श महाविद्यालय' का दर्जा प्रदान किया है. इसी क्रम में यहाँ लेंग्वेज लेब, रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम, कैरियर काउसिंलिंग ब्यूरो एवं प्लेसमेन्ट सेल प्रारंभ किए हैं. जो वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी युग की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं उनको प्रतिस्पर्धात्मक युग के अनुरूप विकसित होने का अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है.

विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1.महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर व्यक्तित्व निर्माण एवं उच्च अध्ययन हेतु आपको स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है. आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अनुशासन एवं मर्यादा में रहते हुए अध्ययन करेगें और अपनी सफलताओं से इस महाविद्यालय के गौरव में वृद्धि करेगें. आपसे अपेक्षा है कि अध्ययनक्रम के साथ–साथ आप महाविद्यालय की अन्य गतिविधियों में भी अपनी रुचि के अनुसार सक्रिय बने रहें।

2.महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए महाविद्यालय के अंदर या बाहर ऐसा कोई आचरण नहीं करें, जिससे इसकी अर्जित ख्याति को धक्का लगे. आपसे कर्तव्यपरायणता और शालीन आचरण की अपेक्षा की जाती है।

3.सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे समयसारिणी, विषय एवं पाठ्यक्रमों की जानकारी भलीभाँति प्राप्त कर लें और कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें. महाविद्यालय की समयसारिणी में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

4.विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र सदैव अपने साथ रखना अनिवार्य है. यदि यह गले में पहनने के लिए बनाया गया है तो आप इसे गले में इस प्रकार से पहनें कि आपका नाम और कक्षा हमेशा नजर आती रहे. प्राध्यापकों या अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें परिचय पत्र दिखायें. परिचय पत्र के बिना महाविद्यालय में आने की अनुमति नहीं है

5.महाविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच सम्पर्क का एक मात्र जरिया सूचनापट ही होता है अतः सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिदिन इसे नियमित रूप से देखते रहें.

6.नवीन शैक्षणिक सत्र 2 जुलाई 2022 से प्रारम्भ हो रहा है. सत्र के प्रारम्भ से ही आप नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में अध्ययन हेतु उपस्थित रहने का प्रयास करे.

7.प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का विशेष एवं गंभीरता पूर्वक ध्यान रखें अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी. उपस्थिति गणना सत्रारंभ/कक्षारंभ के प्रथम दिन से ही की जाती है, चाहे प्रवेश किसी भी कारण से विलम्ब हुआ हो अथवा छात्र विलम्ब से कक्षा में आने लगा हो.

8.राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक कालांश 1 घंटे का होता है यथासंभव एक ही कक्षा में एक ही सेक्शन की कक्षायें होगी. अतः प्राध्यापक के आने तक शालीनता से अपने कक्ष में बैठकर अध्ययन करते रहें.

9.शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही अपना स्थान ग्रहण कर लें तथा कक्षा के समाप्त होने पर शिक्षक के कक्षा से प्रस्थान करने के बाद ही कक्षा से बाहर जायें. विद्यार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह कुर्सियों को कमरों से बाहर नहीं निकालेंगें और न ही कक्षाओं में उनकी व्यवस्थाओं को भंग करेगें. कक्षा के बीच में से किसी छात्र/छात्रा को न बुलायें और न ही किसी के बुलाने पर बाहर जायें.

10.प्राध्यापक के नहीं आने की स्थिति में परिसर में शोर नहीं करें व शैक्षणिक वातावरण को बनाये रखने हेतु कक्षा में बैठकर अध्ययन करते रहें. रिक्त कालांश होने पर गैलरी, पोर्च या कॉरीडोर में न खडे रहें और न ही बगैर किसी काम के कारीडोर में भ्रमण करें. कक्षा नहीं होने की स्थिति में परिसर में पेडों के नीचे /बेंचों पर बैठे एवं स्वाध्याय करें.

11.छात्र अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय व वाचनालय में उपयुक्त रूप से करें. अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए आप पुस्तकालय और वाचनालय की पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं का नियमित एवं अधिकाधिक उपयोग करें. पुस्तकों एवं पत्रपत्रिकाओं के पन्ने फाड़ना उन्हें नष्ट करना, चित्र फाड़ना, गंदे करना दण्डनीय अपराध है.

12.महाविद्यालय का फर्नीचर, प्रयोगशाला की सामग्री, विद्युत सामग्री तथा अन्य चल–अचल सम्पत्ति आपकी एवं राष्ट्र की धरोहर है. अध्ययन कक्षों में फर्नीचर को व्यवस्थित रखें क्योंकि सार्वजनिक सम्पति की रक्षा करना आपका नैतिक दायित्व है. फर्नीचर को क्षतिग्रस्त न करें. दरवाजे खिड़कियों के काँच न तोडें. बिजली के स्विच, वाटर कूलर को नुकसान न पहुंचाये. और ऐसा करने वालों को रोककर अच्छे व्यवहार के परिचायक बनें. आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप महाविद्यालय सामग्री की सुरक्षा करें और महाविद्यालय प्रांगण को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें.

13.महाविद्यालय परिसर की पर्यावरणीय शुद्धता, स्वच्छता एवं सुन्दरता को बनाये रखना अपका प्रमुख दायित्व है. अतः दीवारों पर लिखना, कागज फैंकना, दीवारों पर थूकना, कागज चिपकाना, परिसर में पान व गुटखा खाना, धूम्रपान करना वर्जित है. दोषी छात्रों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जोयगी

14.मादक द्रव्यों का सेवन करके नशे की अवस्था में परिसर में आना दण्डनीय अपराध है. नशे की स्थिति में पाये जाने पर विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जावेगा.

15.इस संस्था में सहशिक्षा की व्यवस्था है, इसलिए छात्र/छात्राओं से अपेक्षा है कि वे एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं सहयोगात्मक आचरण करें। बरामदों, गलियारों व कक्षा में आते/जाते हुए पहले छात्राओं को जाने दें.

16. महाविद्यालय के कार्यालय में कोई भी महत्वपूर्ण मूल प्रमाण पत्र सौंपने से पूर्व उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पर्याप्त संख्या में अपने पास अवश्य रख लें. अतिआवश्यक स्थिति में प्रवेश आवदेन पत्र से कोई भी प्रतिलिपि दिया जाना नियमानुसार शुल्क द्वारा ही सम्भव है. महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर आपको शुल्क अदायगी की पावती(रसीद) मिलेगी, इसे भी संभालकर रखें.

17.स्थानीय डाक पते में परिवर्तन की सूचना स्थानीय संरक्षक से प्रमाणित कराकर, नवीन पते की पूरी जानकारी अकादमी शाखा/छात्र परामर्शदाता को जमा करावें.

18.महाविद्यालय में निर्धारित स्टेण्ड पर ही टोकन प्राप्त कर अपना वाहन रखें. परिसर में अन्यत्र वाहन रखना दण्डनीय अपराध है. निर्धारित स्थल से अलग रखे जाने पर वाहन चोरी होने, क्षतिग्रस्त होने का दायित्व महाविद्यालय प्रशासन का नहीं होगा. यदि वह साइकिल के अलावा अन्य वाहन लाएगा, तो उसका समेकित बीमा (Comprehensive Assurance) होना आवश्यक होगा।

19. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन लाना राज्य सरकार के निर्दशानुसार वर्जित है. आज्ञा की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

20.किसी भी प्रकार की उच्छृंखलता का प्रदर्शन करने पर विश्वविद्यालय अध्यादेश 88 एवं 152 के प्रावधान के अनुसार दण्ड दिया जा सकेगा. अगर कोई छात्र गंभीर दुर्व्यवहार या जानबूझकर छात्रधर्म की उपेक्षा करने का दोषी पाया जाता है तो प्राचार्य द्वारा उसकी प्रवृत्ति और अपराध के गाम्भीर्य सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर उस छात्र को विश्वविद्यालय अध्यादेश 88 के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकेगा. ऐसे निष्कासित छात्र को महाविद्यालय की अनुमति के बिना अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा.

21.भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार छात्र/छात्रा उत्पीडन(Ragging)एक गंभीर संज्ञेय अपराध है. रेगिंग के मामलों में अब प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य होगा. इस प्रकार के किसी भी मामले में आरोपी छात्र को दोषी पाये जाने पर कठोर दण्ड दिया जायेगा. जिसमें छात्र का तुरन्त निष्कासन भी संभव है. सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्पीडन की सूचना प्राचार्य/उपाचार्य/आचार्य को तुरन्त दें.

22.महाविद्यालय में अध्ययन के साथ नौकरी या व्यवसाय करने की स्थित में जानकारी महाविद्यालय में उपलब्ध करावें व नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भी महाविद्यालय में प्रस्तुत करें.

23.परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये गये छात्र को छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति नहीं दी जायेगी. साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम होने पर उन्हें छात्रवृत्ति देय नहीं होगी.

24.महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्व अनुमति आवश्यक है. इस प्रकार किसी भी सभा या आयोजन करने पर बाहर से किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए भी प्राचार्य की पूर्व अनुमति आवश्यक है.

25.महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में महाविद्यालय के नियमित छात्र ही भाग ले सकेंगे, अन्य नहीं.

26.महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी होने के कारण यह आपका दायित्व बनता है कि आप किसी बाहरी छात्र या व्यक्ति को अपने साथ लेकर महाविद्यालय में नहीं आयेंगें, चाहे वह आपका मित्र या परिचित ही क्यों न हो. इसकी अवहेलना करने पर आपके विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है.

27. सभी शिक्षकों, कर्मचारियों का सादर अभिवादन किया जाना हमारी संस्कृति के अनुरूप सभी छात्रों से अपेक्षित है.

प्रवेश विधि

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन आनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं. स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश की निर्धारित तिथियों के बारे मे जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाती है. प्रवेशार्थी ईमित्र के द्वारा या स्वयं भी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदन करने के लिए प्रवेशार्थी को अपनी एसएसओ आईडी से कॉलेज शिक्षा निदेशालय के प्रवेश पोर्टल dce.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करना होगा. प्रवेशार्थी आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सारी प्रविष्टियों को भली भाँति जाँच ले क्योंकि एक बार आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद आपको उसमें संशोधन की सुविधा नहीं मिलेगी.

फार्म भरने की अंतिम तिथि के बाद मेरिट लिस्ट जारी होने के दिन प्रथम वरीयता सूची और उसके बराबर ही प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी. यह सूची योग्यताक्रम से महाविद्यालय सूचनापट पर लगाई जाएगी. यदि इस सूची में आपका नाम है तो आपके मोबाइल नम्बर पर इस बारे में सूचना आयेगी कि आपको मूल प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए महाविद्यालय में किस दिन प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना है.

मोबाइल पर प्राप्त संदेश में दिये गये आपके आवेदन पत्र क्रमांक द्वारा ईमित्र से आपको बधाई पत्र और फार्म की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी है. इनके साथ वांछित प्रमाणपत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति(मय मूल प्रमाण पत्र) लेकर आपको प्रवेश समिति के सम्मुख निर्धारित समय एवं स्थान पर, जिसकी सूचना महाविद्यालय के सूचनापट पर लगा दी जाएगी, सत्यापन करवाने हेतु उपस्थित होना होगा। **तकनीकी कारणों से यदि मोबाइल पर सूचना नहीं भी मिले तो यह आवदेक विद्यार्थी का दायित्व है कि वह योग्यता सूचियों का अवलोकन महाविद्यालय सूचना पटट पर करते रहें. ध्यान रहे कि समय पर मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा।**

सत्यापन के समय निम्नांकिंत मूल प्रमाण पत्रों के साथ आना होगा.

(1) मूल **स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टी.सी.)**

(2) **विगत शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र (सी.सी.)**

(3) अर्हकारी **परीक्षा की मूल अंकतालिका**

(4) स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के आवेदकों के लिए आवेदनपत्र के साथ स्नातक कक्षाओं के तीनो वर्षों की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपियाँ।

(5.) प्रव्रजन प्रमाणपत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) – यदि प्रवेशार्थी म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के कार्यक्षेत्र के बाहर से आ रहा हो।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का मान्य प्रमाणपत्र।

(7) विकलांग श्रेणी का प्रमाण पत्र(यदि आप ने इस श्रेणी में आवेदन किया होा तो)

(8) अन्य **ऐसे सभी प्रमाणपत्र, जिनके आधार पर प्रवेश में नियमानुसार रियायतें चाही है. इनमें आपके एन.एस.एस, एन.सी.सी., या अन्य कोई प्रमाणपत्र सम्मिलित है.**

(9) प्रवेश में रियायत पाने हेतु जो छात्र राज्यस्तरीय या राष्ट्रस्तरीय खेलकूद प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं, उन सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन प्रवेशनीति में उल्लिखित संबंधित संस्थानों द्वारा होना अनिवार्य है।

(10) अभिभावक की गत वर्ष की वार्षिक आय का घोषणापत्र।

इस सूची के **छात्रों को अपना शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा, अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः रद्द हो जाएगा और योग्यता क्रम में आगे के विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जाएगा।**

प्रत्येक कक्षा में वर्गानुसार उपलब्ध सीटों की वरीयता सूची के साथ ही प्रथम प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन भी किया जाता है. इसमें से निर्धारित सीटों तक प्रवेश योग्य आवेदकों को आनलाइन शुल्क जमा कराना होगा. प्रथम प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित प्रवेशार्थी भी इसी दौरान मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात आनलाइन फीस जमा करा सकते हैं.

प्रथम प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थी यदि निर्धारित समयावधि में मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात आनलाइन फीस जमा नहीं कराते हैं तो वे आगे की प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहेंगें..

प्रथम प्रतीक्षा सूची में शामिल प्रवेशार्थियों द्वारा फीस जमा करा देने का अर्थ उस कक्षा में उनका प्रवेश होना नहीं है. फीस इस वजह से जमा करवाई जाती है कि यदि उन से ऊपर वाले प्रवेशार्थी यदि प्रवेश नहीं लेते हैं तो प्रवेशित सूची में उनका स्थान सुनिश्चित हो सके. कक्षा में रिक्त स्थान होने एवं वरीयता क्रम में नाम आने पर ही उन्हें उस कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जा सकेगा.

प्रथम वरीयता और प्रतीक्षा सूची के बाद भी प्रवेश पूर्ण नहीं होने की स्थिति मे द्वितीय वरीयता सूची और उसके बराबर ही द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी. इस सूची में नाम आने पर प्रवेशार्थी को महाविद्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन के पश्चात आनलाइन फीस जमा करानी होगी. विशेष श्रेणी में अपेक्षित फार्म नहीं आने की स्थिति में श्रैणी कन्वर्जन और नये आवेदन पत्र लेने की भी प्रक्रिया की जाती है.

प्रवेशित विद्यार्थियों की अंतिम सूची के प्रकाशन के पश्चात शेष बचे ऐसे प्रवेशार्थी जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में था और जिन्होने सत्यापन के पश्चात फीस भी जमा कराई थी की फीस की राशि उनके द्वारा बताये गये बैंक खाते में वापिस स्थानांतरित कर दी जायेगी

पूरक परीक्षा–योग्य घोषित छात्र भी प्रवेश आवेदनपत्र उक्त तिथियों तक महाविद्यालय में अवश्य प्रस्तुत कर दें। छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियों को ही प्रवेश का मुख्य आधार माना जाएगा। पूरक परीक्षाओं के योग्य घोषित छात्रों की पात्रता का निर्धारण पूरक विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़कर किया जाएगा।

प्रत्येक छात्र को निर्धारित प्रपत्र में घोषित करना होगा कि वह किसी भी राजकीय, अर्द्धराजकीय अथवा निजी संस्था में सेवा नहीं कर रहा है। किसी भी प्रकार की नौकरी करनेवाले छात्रों को तभी प्रवेश दिया जा सकेगा, जबकि उनके नियोजक ने उन्हें प्राचार्य के नाम लिखित स्वीकृति दे दी हो (इस स्वीकृति को संलग्न करें).

स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करते समय छात्र को यदि एक से अधिक विषयों में आवेदन करना हो तो प्रत्येक विषय के लिए पृथक–पृथक आवेदनपत्र भरना आवश्यक है। एक विभाग में दिया गया आवेदनपत्र दूसरे विभाग में प्रवेश हेतु विचारणीय नहीं होगा।

एक विषय/संकाय में प्रवेश लेने के पश्चात् यदि विद्यार्थी अन्य विषय/संकाय में नियमानुसार प्रवेश लेना चाहता है, तो यह तभी संभव होगा, जबकि विद्यार्थी ने अन्य संकाय/विषय में भी (जिसमें वह परिवर्तन चाहता है) प्रवेश–फार्म भरा हो एवं योग्यताक्रम में उसका नाम आता हो।

स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के नियमित या पूर्व छात्र (Ex-Student) को, अस्थायी प्रवेश हेतु अंडरटेकिंग भरकर निर्धारित शुल्क के ड्राफ्ट के साथ दिनांक **21 जून 2022, सोमवार** तक अवश्य जमा कराना होगा।

सीट मेट्रिक्स

स्वीकृत सेक्शन्स : इस महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में सेक्शन्स एवं स्थानों की संख्या निम्नलिखित रूप से निर्धारित है :–

कक्षा	स्थानों की संख्या						
	सेक्शन	सामान्य	अनु.जाति	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	EWS	MBC	योग
बी. ए. पार्ट प्रथम	14	504	224	168	294	140	70	1400
बी. कॉम. पार्ट प्रथम	12	432	192	144	252	120	60	1200
बी. एससी. पार्ट प्रथम(जीवविज्ञान)	3	95	42	32	56	26	13	264
बी. एससी. पार्ट प्रथम(गणित)	3	95	42	32	56	26	13	264
बी. ए. ऑनर्स पार्ट I (भूगोल)	1	15	6	5	8	4	2	40
बी. ए. ऑनर्स पार्ट I (अर्थशास्त्र)	1	15	6	5	8	4	2	40
एम. ए. हिन्दी	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. ए. अंग्रेजी	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. ए. राजनीतिविज्ञान	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. ए. इतिहास	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. ए. भूगोल	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. ए. अर्थशास्त्र	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. ए. समाजशास्त्र	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. ए. लोकप्रशासन	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. कॉम. व्यावसायिक प्रशासन	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. कॉम. वित्तीय प्रबंध	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. कॉम. लेखा एवं सांख्यिकी	1	22	10	7	12	6	3	60
एम. एससी. भौतिकशास्त्र	1	11	5	4	6	3	1	30
एम. एससी. रसायनशास्त्र	1	11	5	4	6	3	1	30
एम. एससी. प्राणिशास्त्र	1	11	5	4	6	3	1	30
एम. एससी. वनस्पतिशास्त्र	1	11	5	4	6	3	1	30
एम. एससी. गणित	1	11	5	4	6	3	1	30
डी.सी.डबल्यू.ए.	1	7	3	3	4	2	1	20
डी.सी.एम	1	7	3	3	4	2	1	20
एम.फिल भौतिकशास्त्र	1	3	2	1	2	2	1	10
एम.फिल रसायनशास्त्र	1	3	2	1	2	2	1	10

नोट – विकलांग एवं कश्मीरी विस्थापितों के लिए क्रमशः 3 प्रतिशत व 1 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर उपलब्ध पाठयक्रम

इस महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के अध्ययन की व्यवस्था उपलब्ध है. इन पाठ्यक्रमों में परिवर्तन व संशोधन संभव है. यह छात्रों का दायित्व होगा कि वे पाठ्यक्रम संबंधी किसी भी परिवर्तन की सूचना समय–समय पर प्राप्त करते रहें. पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्र संबंधी छात्र की किसी भी त्रुटि के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा.

सभी पाठ्यक्रम म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुरूप होंगे. विश्वविद्यालय द्वारा कोई परिवर्तन होने पर परिवर्तित पाठ्यक्रम ही लागू होगा.

नोट : 1. प्रत्येक कालांश एक घंटे का होगा.

2. नीचे दिए गये विषयों के सामने/नीचे कोष्ठक मे दिए गये अंक सम्बन्धित विषय की कोड संख्या है,जिन्हे आवेदन–पत्र में दिए गये कम्प्यूटर फार्म में आवश्यक रूप से अंकित करना है.

स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम

कला संकाय **(Faculty of Arts)**

महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातक स्तर पर **बी.ए. (तीन वर्षीय)** और **बी. ए. ऑनर्स–भूगोल तथा अर्थशास्त्र (तीन वर्षीय)** दोनों पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं. जो छात्र दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करना चाहें, उन्हें निर्देशित किया जाता हैं कि वे दोनों पाठ्यक्रमों के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें.

बी. ए. पार्ट प्रथम

अनिवार्य विषय(Compulsory Subjects) :

1. सामान्य हिंदी (101) अथवा सामान्य अंग्रेजी (102)

2. पर्यावरण अध्ययन (108)

3. गांधी अध्ययन

वैकल्पिक विषय(Optional Subjects) :

निम्नलिखित चार समूहों में से किन्हीं तीन का चयन कर तीन ऐच्छिक विषयों का अध्ययन करना होगा.

1. हिदी साहित्य (114)	अथवा	अंग्रेजी साहित्य (118)
2. समाजशास्त्र (113)	अथवा	अर्थशास्त्र (115)
3. राजनीतिविज्ञान (112)	अथवा	लोकप्रशासन (116) अथवा संस्कृत
4. इतिहास (111)	अथवा	भूगोल (119)

नोट : बी. ए. पार्ट प्रथम में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को प्रवेश आवेदन पत्र में वरीयता क्रम में चार वैकल्पिक विषय लिखने होंगे. प्रवेश समिति प्रत्येक विषय में उपलब्ध स्थानों को दृष्टिगत रखते हुए वरीयतानुसार इनमें से कोई तीन विषय छात्र को आवंटित करेगी.

बी. ए. पार्ट द्वितीय

1. हिंदी साहित्य (214)	अथवा	अंग्रेजी साहित्य (218)
2. समाजशास्त्र (213)	अथवा	अर्थशास्त्र (215)
3. राजनीतिविज्ञान (212)	अथवा	लोकप्रशासन (216) अथवा संस्कृत
4. इतिहास (211)	अथवा	भूगोल (219)

बी. ए. पार्ट तृतीय

1. हिंदी साहित्य (314)	अथवा	अंग्रेजी साहित्य (318)
2. समाजशास्त्र (313)	अथवा	अर्थशास्त्र (315)
3. राजनीतिविज्ञान (312)	अथवा	लोकप्रशासन (316) अथवा संस्कृत
4. इतिहास (311)	अथवा	भूगोल (319)

बी. ए. (आनर्स) पार्ट प्रथम

अनिवार्य विषय(Compulsory Subjects) :

1. सामान्य हिंदी (101) अथवा सामान्य अंग्रेजी (102) **2.** पर्यावरण अध्ययन (108)

वैकल्पिक विषय(Optional Subjects) :

मुख्य विषय के अतिरिक्त कोई एक विषय सहायक विषय के रूप में चुनकर अध्ययन करना होगा.

मुख्य विषय सहायक विषय

बी.ए. आनर्स पार्ट प्रथम

1. भूगोल (167) अर्थशास्त्र (115)/समाजशास्त्र (113) लोकप्रशासन(116)/राजनीतिविज्ञान (112)
2. अर्थशास्त्र (166) भूगोल(119)/इतिहास(111) लोकप्रशासन(116)/राजनीतिविज्ञान(112)

बी.ए. आनर्स पार्ट द्वितीय

1. भूगोल (267) अर्थशास्त्र (215)/समाजशास्त्र (213) लोकप्रशासन(216)/राजनीतिविज्ञान (212)
2. अर्थशास्त्र (266) भूगोल(219)/समाजशास्त्र(213) लोकप्रशासन(216)/राजनीतिविज्ञान(212)

बी.ए. आनर्स पार्ट तृतीय

1. भूगोल (367) अर्थशास्त्र (315)/समाजशास्त्र (313) लोकप्रशासन(316)/राजनीतिविज्ञान (312)
2. अर्थशास्त्र (366) भूगोल(319)/समाजशास्त्र(313) लोकप्रशासन(316)/राजनीतिविज्ञान(312)

वाणिज्य संकाय(Faculty of Commerce)

स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम

बी. कॉम. पार्ट प्रथम

अनिवार्य विषय(Compulsory Subjects) :

1. सामान्य हिंदी (101) अथवा सामान्य अंग्रेजी (102) **2.** पर्यावरण अध्ययन (108)
3. वित्तीय लेखांकन (103) (केवल गैर वाणिज्य विद्यार्थियों के लिए)
4. व्यावसायिक अध्ययन(104) (केवल गैर वाणिज्य विद्यार्थियों के लिए)

वैकल्पिक विषय(Optional Subjects) :

बी.कॉम पार्ट (प्रथम)	बी.कॉम पार्ट (द्वितीय)	बी.कॉम पार्ट (तृतीय)
1. लेखा एवं वित्त (141)	1. लेखा एवं वित्त (241)	1. लेखा एवं वित्त (341)
2. व्यावसायिक प्रबंध (142)	2. व्यावसायिक प्रबंध (242)	2. व्यावसायिक प्रबंध (342)
3. बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंध(143)	3.बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंध(243)	3.बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबंध(343)

विज्ञान संकाय(Faculty of Science)

स्नातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम

बी. एससी. पार्ट प्रथम

अनिवार्य विषय(Compulsory Subjects) :

1. सामान्य हिंदी (101) अथवा सामान्य अंग्रेजी (102) 2. पर्यावरण अध्ययन (108)

वैकल्पिक विषय(Optional Subjects) :

निम्नलिखित दो समूहों (Groups) में से किसी एक समूह का चयन कर तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा :–

बी.एससी. पार्ट प्रथम

1. भौतिकशास्त्र(131),	रसायनशास्त्र(132)	एवं	गणित (137)
2. रसायनशास्त्र (132),	प्राणिशास्त्र (134)	एवं	वनस्पतिशास्त्र (133)

बी.एससी. पार्ट द्वितीय

1. भौतिकशास्त्र(231),	रसायनशास्त्र (232)	एवं	गणित (237)
2. रसायनशास्त्र (232),	प्राणिशास्त्र (234)	एवं	वनस्पतिशास्त्र (233)

बी.एससी. पार्ट तृतीय

1. भौतिकशास्त्र(331),	रसायनशास्त्र (332)	एवं	गणित (337)
2. रसायनशास्त्र (332),	प्राणिशास्त्र (334)	एवं	वनस्पतिशास्त्र (333)

सत्र 2022–2023 में महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर उपलब्ध पाठयक्रम

महाविद्यालय 16 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाता है.

(कला संकाय)

हिन्दी साहित्य
अंग्रेजी साहित्य
भूगोल
समाजशास्त्र
राजनीति विज्ञान
अर्थशास्त्र
लोक प्रशासन
इतिहास

(वाणिज्य संकाय)

लेखा एंव सांख्यिकी

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

व्यावसायिक प्रशासन

(विज्ञान संकाय)

भौतिक शास्त्र
रसायन शास्त्र
वनस्पतिशास्त्र
प्राणिशास्त्र
गणित

One Year PG Diploma in Salesmanship and Marketing

One Year PG Diploma in Costs and works Accountancy

शोध सुविधा :

विभिन्न विषयों में शोध (Ph. D.) की सुविधा के अन्तर्गत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, गणित, इतिहास, हिन्दी, भूगोल, समाजशास्त्र, लेखा एवं सांख्यिकी, व्यावसायिक प्रशासन, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रबन्ध विषयों में म. द. स. विश्वविद्यालय, अजमेर से मान्यताप्राप्त शोध निर्देशकों के निर्देशन में शोध सुविधा उपलब्ध है। शोधार्थी संबंधित विषय के शोध निर्देशकों से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं.

शुल्क तालिका

नोट : छात्राएँ शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं।

2. अन्य शुल्क (प्रवेश के समय एक साथ देय)

	सामान्य वर्ग	अनु.जा/अनु.ज.जा./अ.पि.व.
प्रवेश शुल्क	2.00	2.00
खेल विकास शुल्क	50.00	25.00
महाविद्यालय विकास शुल्क	21.00	10.50
सामान्य प्रयोजन शुल्क	20.00	10.00
पत्रिका शुल्क	15.00	15.00
पुस्तकालय शुल्क	20.00	10.00
मुक्तद्वार प्रणाली शुल्क	10.00	5.00
वाचनालय शुल्क	25.00	12.50
छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00
समाज सेवा शुल्क	5.00	5.00
परिचयपत्र शुल्क	25.00	25.00
पुस्तकालय टिकट का मूल्य	6.00	6.00
साईकिल/वाहन शुल्क	20.00	20.00
गुणवत्ता सुधार शुल्क	14.00	7.00
विद्युत एवं पेयजल रख–रखाव	25.00	25.00
स्काउटिंग शुल्क	30.00	30.00
महाविद्यालय सुरक्षा एवं सफाई शुल्क	100.00	100.00
योजना मंच	10.00	10.00
विश्वविद्यालय क्रीडा शुल्क	30.00	30.00
एनसीसी	10.00	10.00
परिसर सोंदर्यकरण एवं स्वच्छता शुल्क	25.00	25.00
कॉशन मनी शुल्क	10.00	10.00
सांस्कृतिक गतिविधियाँ शुल्क	10.00	10.00
बीमा शुल्क	20.00	20.00
छात्र सहायता शुल्क	10.00	5.00
डाक शुल्क	5.00	5.00
महाविद्यालय विकास समिति शुल्क	300.00	300.00
छात्रा परिषद शुल्क(सिर्फ छात्राओं से)	30.00	00.00
टयूशन फीस(सिर्फ सामान्य छात्रों से)	180.00	00.00
कुल	926.00	813.00

नोट 1. प्रायोगिक विषय लेने पर स्नातक स्तर पर 100.00 रु. एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 150.00 रु.अतिरिक्त शुल्क लगेगा।

2. जो विद्यार्थी महाविद्यालय में शोध कार्य कर रहे हैं/करेंगे, उन्हें विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित शुल्क महाविद्यालय में जमा कराना होगा।

3. यह अवधान राशि (कॉशनमनी) उसके महाविद्यालय छोड़ने के 3 वर्ष के भीतर ही लौटाई जा सकेगी।

4.अवधान राशि लौटाने के लिए छात्र को निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन करना होगा। निर्धारित अवधि में नहीं ली जाने की स्थिति में वह राजकीय कोष में जमा करा दी जाएगी।

5. जिन छात्रों के पिता या अभिभावक आयकर नहीं देते हैं, उनको शिक्षण शुल्क में रियायत तभी दी जाएगी, जबकि वे इस हेतु आवेदनपत्र में निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करेंगें।

6. निम्नलिखित श्रेणियों के छात्रों को आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त किया जा सकेगा –(क) वे छात्र जो राज्य सरकार, पंचायत समिति या जिला परिषद् के सेवारत कर्मचारियों
(जो आयकर दाता नहीं हो) पर ही पूर्णतः निर्भर हों। (ख) भारतीय सेना में मोर्चे पर नियुक्त सैनिको के पुत्र।
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थी।

राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा छात्रों को देय प्रमुख छात्रवृत्तियाँ

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ –

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतू तथा अर्ध घुमंतु वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई जाती है।

विभाग द्वारा डी.बी.टी. वाऊचर योजना के अन्तर्गत ऐसे प्रतिभावान छात्रों को प्रतिमाह 2 हजार रूपया किराया भत्ता दिया जाता है. जो शहरी परिक्षेत्र से दूर निवासरत है. जो शहर में आकर मकान किराया लेकर पढ़ना चाहते हैं.

आवेदन : छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आनलाइन करना होगा. जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं आवश्यक हैं

छात्र एवं छात्रा का आधार कार्ड | Aadhar card of student and student
जाति प्रमाण पत्र | Caste Certificate
मूल निवास प्रमाण पत्र | Domicile Certificate
जन आधार कार्ड | Jan Aadhar Card
दसवीं की मार्कशीट | 10th Marksheet
आय प्रमाण पत्र | Income Certificate
फीस रसीद | Fees Rasid
बैंक खाता विवरण | Bank Account Details
अंतिम कक्षा पास की गई मार्कशीट | Last Class Passed Marksheet
यदि पिछले वर्ष पढ़ाई नहीं की तो गेम सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना है
छात्र द्वारा हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो
विवाह होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र

❖ गैर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र(माडा/बिखरी) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत समस्त छात्राओं को शैक्षिक प्रोत्साहन हेतु प्रति वर्ष 5000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाति है. इस प्रोत्साहन राशि के साथ वह अन्य छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकती है.

सम्पर्क
डॉ.बनवारी लाल आर्य

2. राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

राज्य के जिन विद्यार्थियो ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में 12 वी की परीक्षा में न्यूनतम 60 : अंको से उत्तीर्ण होना चाहिए. इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के विधार्थियो के परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख 50 हज़ार रूपये या उससे कम होनी चाहिए. इस योजना का लाभ सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा. योजना में चयनित विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 5000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है. इस योजना के लिए उन विधार्थियो को मिलेगा जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक ाशिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा वरीयता सूची में प्रथम एक लाख तक स्थान प्राप्त किया होगा.

योजना के तहत 12 वी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 5 सालो तक ही छात्रवृति प्रदान की जाएगी. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद इच्छुक लाभार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वह योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ उठा सकते है.

सम्पर्क
डॉ.कन्हैया लाल मीणा

3. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ : ये छात्रवृत्तियाँ उन छात्रों को प्रदान की जाती हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर या विश्वविद्यालय में योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, व अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं. छात्रवृति के लिए अब विद्यार्थियों को विभिन्न आवेदन फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। उम्मीदवार अब स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए National Scholarship Portal पर ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आधिकारिक वेबसाइट है। यह वेबसाइट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लांच की गयी है। ये अल्पसंख्यक, विकलांग एवं प्रतिभावन छात्रों को छात्रवृति प्रदान करता है। इसमें एकल कन्या छात्रा को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है.

राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल छात्रों के लिए एक समस्या का समाधान है जो छात्रों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। यह पोर्टल 50 अलग –अलग छात्रवृतियों के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। ये पोर्टल राष्ट्रीय–ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मिशन मोड़ के तहत आता है। जिसमे छात्र या छात्राओं की अलग–अलग छात्रवृति होती है।

ध्यान रखे ये राष्ट्रीय छात्रवृति का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को प्राप्त होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड योग्यता को पूरा करेंगे। राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल का उद्देश्य यही है की देश में जितने भी गरीब या विकलांग बच्चे है उनकी माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाएगी। आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

सम्पर्क

डॉ.अश्विनी कुमार जोशी

4.देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना

राजस्थान राज्य के अति पिछड़े वर्गो में से आने वाली 5 जातियों यथा (1.बंजारा, बालदिया,लबाना, 2.गाडिया– लौहार, गोडोलिया 3.गुजर, गुर्जर 4.राईका, रेबारी (देवासी, देबासी) 5. गडरिया,(गाडरी),गायरी की छात्राओं को देय होगी. इसके लिए वे छात्रायें आवेदन की पात्र होंगी जिन्होंने 12 वीं कक्षा 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण कर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है.

राज्य सरकार इस योजना में प्राथकिता से 1500 स्कूटी वितरत करती है. छात्रवृत्ति के आवेदनों की इससे अधिक संख्या होने पर सरकार बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है. योग्य छात्रायें महाविद्यालय में प्रवेश के बाद इस छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

5.काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना

कक्षा 12 में नियमित अध्ययन कर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने व महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रात्साहित करने व उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए यह योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 65 प्रतिशत से अधिक और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रायें इस योजना के लिए आनलाइन आवेदन कर सकती है.

उच्च शिक्षा विभाग प्रति जिले के अनुसार 51 स्कूटी वितरण करता है. जिसमें से भी 20 विज्ञान, 28 कला व 3 स्कूटी वाणिज्य संकाय की छात्राओं के लिए निर्धारित होती है. अनुसचित जाति की छात्राओं के लिए भी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग 1000 स्कूटी सम्पूर्ण राज्य की छात्राओं के लिए प्रोत्साहन स्वरूप वरीयता के आधार पर प्रदान करता है.

योग्य छात्रायें महाविद्यालय में प्रवेश के बाद इस छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

सम्पर्क

श्रीमती सुनिता चौधरी

सहशैक्षणिक गतिविधियाँ

1.राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्र अध्ययन के साथ साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और राष्ट्रभक्त नागरिक बनें. कार्यक्रम को अभिनव बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता, एड्स के प्रति जागरूकता, बस्ती गोद लेने की अनिवार्यता, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, महिला विकास एवं उत्थान तथा बंजर भूमि विकास, राष्ट्र/प्रदेश द्धारा संचालित विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने आदि जैसे कार्यक्रमों को एकीकृत रूप में एन.एस. एस. के साथ जोड़ा गया है. एन. एस. एस. के साथ जुड़कर छात्र छात्राएँ ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक हो सकते हैं तथा इस प्रकार समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं।

एन. एस. एस. में छात्र को नियमित गतिविधियों के अंतर्गत दो वर्ष में 240 घंटे रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में छात्रों के लिए विभिन्न विषयो में पुनर्विन्यास,वाद विवाद, आशुभाषण, क्विज, जागरूकता आदि कार्यक्रम महाविद्यालय द्धारा चयनित बस्ती में आयोजित किए जाते हैं तथा उन्हें एक दस दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना होता है। उत्कृष्ट कोटि का कार्य करनेवाले स्वयंसेवकों को प्रत्येक वर्ष राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किया जाता है।

हमारे महाविद्यालय में राज्य सरकार द्धारा एन. एस. एस. की चार इकाइयाँ स्वीकृत हैं, जिनमें प्रत्येक वर्ष 400 छात्र–छात्राएँ पंजीकृत किए जाते हैं। एन. एस. एस. की गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं है, परन्तु प्रत्येक इच्छुक छात्र/छात्रा को एक आवेदनपत्र निर्धारित तिथि तक भरना आवश्यक है, जो महाविद्यालय के एन. एस. एस. प्रभारी/कार्यक्रम अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता हैं.

कार्यक्रम अधिकारी

1.डा. कान्ता मीणा

2.डा. राजश्री सेठी

3.श्री राजु राम घांसी

4.लक्ष्मण लाल गुर्जर

2. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.)

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.) युवा शक्ति को सार्थक दिशा देने के लिए ऐसे प्रयास का नाम है, जो विद्यार्थियों में उच्चतम चारित्रिक मूल्यों के विकास के साथ साहस, सहकारिता, निःस्वार्थ सेवा, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, अनुशासन व एकता की भावना को विकसित करने के साथ ही उन्हें सशस्त्र सेना एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकने की योग्यता विकसित करने का भी प्रयास करता है। सैन्य जीवन के परिचय के साथ, नौकायन, पर्वतारोहण, साइकिल/मोटरसाइकिल यात्रा, पैराजम्पिंग जैसे

साहसिक व रोमांचक अनुभव प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है. देश विदेश की यात्रा, सैन्य अधिकारी बनने तथा विशिष्ट कैम्पों में भागीदारी का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है।

महाविद्यालय में एन. सी. सी. के कुल 200 स्थान निर्धारित हैं। प्रथम वर्ष के कुल स्थानों की संख्या द्वितीय वर्ष में सी–प्रमाणपत्र से पास होने वाले / महाविद्यालय छोड़ने वाले कैडेट पर निर्भर करेगी.

(1) वर्तमान सत्र से एन.सी.सी. का पाठ्यक्रम तीन वर्षीय हो गया है.

(2) एन. सी. सी. में प्रवेश जुलाई के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा. जिसकी तारीख की सूचना सूचनापट पर लगा दी जाएगी.

(3) प्रवेश सेना के शारीरिक मापदंडो के अनुरूप किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो लिखित परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है.

(4) बी प्रमाणपत्र के लिए एक वर्ष एवं सी प्रमाणपत्र के लिए निरंतर दो वर्षों तक महाविद्यालय का नियमित छात्र होना आवश्यक है, साथ ही एन. सी. सी. में प्रत्येक वर्ष 75 प्रतिशत उपस्थिति तथा दो कैम्प होना अनिवार्य है, अन्यथा उनको प्रमाणपत्र व परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा.

सम्पर्क

प्रभारी –लेफ्टिनेन्ट डा. संजय गोदारा

3.रोवर स्काउटिंग :

स्काउटिंग का उद्देश्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के विकास में इस तरह से योगदान करना है जिससे उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्विक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अन्तःशक्तियों की उपलब्धि हो. महाविद्यालय में रोवर स्काउट्स की 02 तथा रेंजर गाईड्स की 01 ईकाई संचालित है। प्रत्येक ईकाई में 24 रोवर–रेंजर होते हैं. इस प्रकार महाविद्यालय में कुल 48 रोवर्स तथा 24 रेंजर्स पंजीकृत हैं.

प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र इसकी सदस्यता आवेदनपत्र के साथ 10 वीं की अंकतालिका एवं परिचयपत्र की प्रति देकर ग्रहण कर सकते हैं. योग्य रोवर्स को विशेष प्रशिक्षण हेतु आयोजित राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय शिविरों मे भेजा जाता है. रोवर्स को उनकी सक्रियता के अनुरूप प्रवीण, निपुण एंव राष्ट्रपति रोवर अवार्ड हेतु योग्यता अनुसार अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

सम्पर्क

प्रभारी रोवर लीडर – डॉ. पयोद जोशी

4.खेलकूद :

महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक खेल बोर्ड का गठन किया गया है. खेल बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताओं हेतु टीमों का चयन किया जाता है.

महाविद्यालय में सभी प्रकार के खेलों की व्यवस्था है. यहाँ कुश्ती, जिमनास्टिक, भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध है. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता में कुश्ती और बॉक्सिंग की विजेता टीमों में इस महाविद्यालय का लगभग एकाधिकार रहा है

नियमित छात्रों में से श्रेष्ठ चुनिंदा छात्रों को विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भेजा जाता है. खेलकूद क्षेत्र में यह महाविद्यालय प्रदेश में विशिष्ट स्थान रखता है. विशेष कुशलता प्रदर्शित करनेवाले

छात्रों को वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रशंसापत्र एवं कलर आदि से सम्मानित किया जाता है. खेलों में अभिरूचि रखने वाले विद्यार्थी अपनी रूचि के खेल में भाग लेकर स्वयं और महाविद्यालय का नाम रौशन कर सकते हैं.

सम्पर्क

डॉ. विजय कुमार लोयल

5.योजना मंच :

महाविद्यालय में योजना मंच का गठन किया गया है. योजना मंच सामाजिक आर्थिक मुद्दों के प्रति जन–जागरूकता, प्रचार–प्रसार में भूमिका निभाता है. केन्द्रीय व राज्य सरकार के बजट एवं घोषणाओं पर अध्ययन एवं मंथन करता है. सरकारी मुद्दों व योजनाओं का देश व राज्य के अर्थिक विकास के प्रति विद्यार्थियों को सृजनात्मक, रचनात्मक विचार अभिव्यक्ति का माध्यम योजना मंच है. योजनामंच के माध्यम से विद्यार्थियों को आर्थिक योजना के प्रति अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं, आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, प्रसार भाषण, सेमीनार आदि का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिताओं में विजेता छात्र/छात्राओं को पुरस्कार व प्रशंसापत्र प्रदान किए जाते हैं।

इसी क्रम में विद्यार्थियों के लिये निर्णय लेने व सुधार करने में मदद मिलती है. यह विद्यार्थियों के लिये सतत् विकास को प्रेरित करने वाला अकादमिक प्लेटफॉर्म है जो कि उनके आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर तार्किक व बोद्धिक क्षमता को बढ़ाता है. विद्यार्थियों को सामाजिक व आर्थिक मुद्दों के प्रति विचारों व ज्ञान को आदान–प्रदान करने का माध्यम हैं. साथ ही सामाजिक व आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं उनके प्रभाव को साथ ही उनसे होने वाले परिवर्तन को और योजनाओं के फीडबेक को समझने में विद्यार्थियों को सहायता मिलती है. इच्छुक विद्यार्थी इस मंच मे भाग लेकर अपनी उपभोक्ता रूचि को बढ़ा सकते हैं.

सम्पर्क

प्रो.सुमन मीणा

6. स्नातकोत्तर परिषद् :

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर स्नातकोत्तर परिषद का गठन किया जाता है. प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इसका गठन करते है. स्नातकोत्तर परिषद के सभी पदों पर विद्यार्थियों का मनोनयन प्राप्तांको के आधार पर किया जाता है. इस परिषद के गठन के उपरान्त यह स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रम के अनुसार विभाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं.

स्नातकोत्तर परिषद में छात्र अपने शोधपत्र पढ़ने के अलावा विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों से लाभान्वित होते हैं. परिषद में पत्रवाचन, परिसंवाद, वाद–विवाद, स्थानीय समस्याओ के संदर्भ, सर्वेक्षण, अनुसंधान आदि विभिन्न प्रकार की बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन, परामर्शदाता (प्राध्यापक) के सहयोग से किया जाता है.

सम्पर्क

स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष

छात्रोपयोगी सुविधायें

1.प्लेसमेण्ट एवं कैरियर गाइडेंस सेल

महाविद्यालय में प्लेसमेंट एवं कैरियर गाइडेंस सेल कार्यरत हैं. विद्यार्थियों को वर्तमान प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में उनकी प्रतिभा व ज्ञान को प्रखर करने तथा उन्हें भविष्य में अपने कैरियर के सही चयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है. यह उच्च प्रतियोगी परीक्षााओं, विभिन्न पदों के लिए निकलनेवाली विज्ञप्तियों, इंटरनेट आदि से सूचनाएं प्राप्त कर छात्रों को उपलब्ध कराता है।

सत्र के दौरान यह प्रकोष्ठ विभिन्न विषय विशेषज्ञों तथा कैरियर मार्गदर्शकों के भाषण/उद्बोधन एवं कार्यशाला का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय एवं राज्य में औद्योगिक उपक्रमों, संस्थानों से निरंतर सम्पर्क करता है एवं वहां सृजित रोजगार के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु महाविद्यालय में ही परिसर साक्षात्कार का आयोजन भी करता है।

प्लेसमेंट एवं कैरियर गाइडेंस सेल द्वारा विगत सत्र अभिनव प्रयोग करते हुए '**सुपर 60**' का आयोजन किया गया। इसके लिए प्रथम और द्वितीय वर्ष के ऐसे विद्यार्थियों का चयन किया गया जो प्रशासनिक सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। त्रिस्तरीय परीक्षा की चयन प्रक्रिया से अंतिम रूप से चयनित 60 विद्यार्थियों को शाम 3 से 5 बजे तक कमरा नंबर 22 में विशेषज्ञ संकाय सदस्यों द्वारा निशुल्क मार्ग दर्शन दिया जा रहा है. इच्छुक विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते है.

सम्पर्क
डॉ.पयोद जोशी

2.मानव अधिकार क्लब

महाविद्यालय में मानव अधिकार क्लब संचालित है. यह क्लब विद्यार्थियों को मानव अधिकारों की जानकारी देने और उनके संरक्षण के लिए जागरूक करने का कार्य करता है. विद्यार्थियों को बताया जाता है कि किसी भी प्रकार की संगठनात्मक सत्ता से मनुष्य की सुरक्षा करने के लिए मानव अधिकारों की धारणा विकसित हुई है. दूसरों पर शासन करने और वर्चस्व करने की हमारी धारणा ने मानव अधिकारों को संकट में डाला है. मनुष्य यदि अपनी मनुष्यता को सहेज लेगा तो मानव अधिकार भी सुरक्षित हो जाएंगे. मानव अधिकारों का संघर्ष का सामूहिकता का संघर्ष है.

मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सजगता और संवेदनशीलता आवश्यक है. मानव अधिकार क्लब विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए इस विषय पर व्याख्यान और परिचर्चाओं को आयोजन करता है. इस क्लब में कार्य करने के इच्छुक छात्र प्रभारी से सम्पर्क कर सकते हैं.

सम्पर्क
डॉ.पयोद जोशी

3.विद्यार्थी मार्गदर्शन परामर्श, (Student Help Desk)

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नवागन्तुक विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में एक **विद्यार्थी मार्गदर्शन परामर्श (Student Help Desk)** कार्य करती है. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया में कोई जानकारी नहीं होने पर वह इस डेस्क के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है.

महाविद्यालय में नवागन्तुक छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी देने, महाविद्यालय में विभिन्न विभागों और कार्यालय की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराने का कार्य यह डेस्क करती है.

सम्पर्क
डॉ. भगवती लाल जागेटिया

4.महिला प्रकोष्ठ

महिला प्रकोष्ठ का उद्देश्य महिलाओं की वास्तविक क्षमता को पहचानना और आत्मसम्मान विश्वास बढ़ाने के लिए निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना है. महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों, स्वास्थ्य, रोजगार और लिंग सबंधी विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ना है. समाज के निर्माण मं महिलाओं की भुमिका को सुनिशचित करना है

महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है. यथा बालिका स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, योग प्रशिक्षण, आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण, कानूनी जानकारी, सड़क सुरक्षा, यातायत जागरूकता विषयों पर विस्तृत जानकारी देना होता है. जिससे महाविद्यालय की छात्राओं में भावनात्मक शारीरिक और मानसिक क्षमता, आत्मसम्मान और चुनौतियेां का सामना कर सके. उनके उन्नत भविष्य में सफलता के मील के पत्थर हासिल करने में उनकी सहायता करने का प्रयास करता है

सम्पर्क

डॉ.प्रतिभा पारीक

5.उपभोक्ता मंच

वैश्वीकरण के इस दौर में स्थानीय महाविद्यालय के संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों तथा आमजन मानस को अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु महाविद्यालय में उपभोक्ता क्लब का गठन किया जाता है।

इस योजना में संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों तथा आमजन को जागरूक करने हेतु रैली का आयोजन किया जाता है. प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तथा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा नये प्रावधानों की जानकारी हेतु व्याख्यान माला का आयोजन किया जाता है। जिससे विद्यार्थी तथा आमजन उपभोक्ता अधिकारों तथा जरूरतों के बारे जान सके तथा सामाजिक अन्याय के विरूद्ध लड सके. नियमित विद्यार्थी इसमें भाग लेकर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विकसित कर सकते हैं.

सम्पर्क

प्रो.सुमन मीणा

6..रेड रिबन क्लब

महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब का गठन किया गया है, क्लब के प्रमुख उद्देश्य युवाओं को HIV/AIDS यौन रोग तथा उससे संबंधित मुद्दों पर सही व पर्याप्त जानकारी देना है. यह क्लब अपनी गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को ऐसी परिस्थिति से अवगत कराने का कार्य करता है जहां उनका शोषण हो सकता है और उनसे बचने के उपाय बताता है. रेड रिबन क्लब HIV/AIDS ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए छात्रों में संवदेनशीलता और जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य करता है.

यह क्लब विद्यार्थियों को यौन रोग/HIV/AIDS /नशे को रोकने से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं तक युवाओं की पहुंच बनाने, युवाओं को शासकीय, गैर शासकीय,सामूहिक संस्थाओं के बीच कडी की तरह कार्य करने के प्रेरित करता है. वर्षपर्यन्त अपने आयोजनों में क्लब स्वैच्छिक रक्तदान तथा रक्त समूह परीक्षण कराने का कार्य करता है.स्वस्थ जीवन जीने हेतु युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करता है. विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है.

सम्पर्क

डॉ.कन्हैया लाल मीणा

7.. ईको क्लब : (सौन्दर्यकरण/स्वच्छ परिसर एंव पर्यावरण संवर्द्धन)

महाविद्यालय में सत्र 2005–06 से ईको क्लब की शुरुवात की गई है। इसका उद्देश्य कालेज के विद्यार्थियों को पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक बनाना है. कालेज के सभी नियमित विद्यार्थी इस क्लब के सदस्य हैं.

'ईको क्लब' के तत्वावधान में विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जाग्रति के लिए पर्यावरण रैली, प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता हैं। विजेताओं को क्लब की ओर से पारितोषिक प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी क्लब के क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लें, ऐसी अपेक्षा है, ताकि हम महाविद्यालय परिसर के वातावरण को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में योगदान दे सकें।

सम्पर्क

डॉ.भगवती लाल जागेटिया

8.. गांधी अध्ययन केन्द्र

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जानने और समझने के लिए महाविद्यालय में एक गांधी अध्ययन केन्द्र स्थापित है. गांधीजी के जीवन दर्शन के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करने के लिए वर्ष पर्यन्त यह केन्द्र विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है.

विद्यार्थियों में गांधी दर्शन को प्रचारित प्रसारित करने के लिए गांधीवादी विचारकों और वक्ताओं को प्रसार भाषण के लिए आमंत्रित किया जाता है. गांधी दर्शन भौतिकतावाद के इस दौर में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया हैं. व्यष्टि स्तर पर गांधी का दर्शन निर्भिकता का पाठ पढ़ाता है। निर्भिक वही हो सकता है जो सत्य के रास्ते पर चले और जो निर्भिक होता है उसे कभी हिंसा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। गांधी का जीवन स्वयं में एक दर्शन है जो विद्यार्थियों को आत्म निर्भर बनने की सीख देता है.गांधी जी के जीवन दर्शन से प्रभावित महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी गांधी अध्ययन केन्द्र में भाग लेकर गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते है।.

सम्पर्क

डा.पयोद जोशी

9.उडान योजना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर उड़ान योजना की घोषणा की है. जिसके अंतर्गत महाविद्यालय की सभी छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे.

सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि लड़कियां और महिलाएं अपनी हेल्थ और शारीरिक स्वच्छता को लेकर बहुत ही लापरवाही बरतती हैं. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है. अतः राज्य में निवास करने वाली समस्त महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो, रोगों से उनकी रक्षा हो सके और स्वास्थ्य बेहतर हो सके, इस उद्देश्य से राजस्थान में उड़ान योजना को चालू करने की घोषणा की गई है. उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य की सभी छात्राओं और किशोरियों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं. मुफ्त सेनेटरी नैपकिन मिलने से महिलाओं छात्रों, किशोरियों को अच्छा स्वास्थ्य और हाइजीन की सुविधा मिलेगी.

महाविद्यालय की सभी छात्रायें प्रभारी से सम्पर्क कर सकती है.

सम्पर्क

डॉ.फरजाना अहमद

10.आवाज दो(स्पीक अप) क्लब,

छात्राओं एवं महिलाओं को उन पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम, महिला सशक्तीकरण एवं यौन दुराचार के सम्बन्ध में सजग रहने तथा इनसे सम्बंधित कानूनों की जानकारी देने हेतु महाविद्यालय में आवाज दो (Speak Up) क्लब का गठन किया गया है. इस क्लब का मूल उद्देश्य महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों व महिलाओं से सम्बन्धित नवीन कानूनी प्रावधानों के प्रति आमुखीकरण, प्रशिक्षण व जागरूकता लाते हुए पुलिस के प्रति महिलाओं में विश्वास जगाना हैं. इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति का गठन किया जिसमे प्रत्येक संकाय से चुनी हुई छात्राओं को भी शामिल किया गया है.

राजस्थान पुलिस विभाग की सहायता से इसमें छात्राओं को आवश्यक जानकारी दी जाती है. छात्राओं के मोबाइल फ़ोन में आवाज दो एप इनस्टॉल करवाकर इसके सदुपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है. सकता हैं।

सम्पर्क

प्रो.सुमन मीणा

11.विद्यार्थी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

छात्रों को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा और शिकायत के लिए महाविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के निर्देशन में एक विद्यार्थी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है. महाविद्यालय में छात्रों को यदि किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत होती हे तो वह इस प्रकोष्ठ में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यह प्रकोष्ठ कार्य करता है. विद्यार्थी अपनी किसी भी समस्या या शिकायत को लेकर प्रकोष्ठ से सम्पर्क कर सकता है. छात्रहित में सहानुभूति पूर्वक इन शिकायतो को प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया ाजाता है.

सम्पर्क

डॉ. विजय कुमार पंचोली

12.महिला उत्पीड़न निवारण समिति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प(1वि) प्रशा/आकाशि/एम.यू./2019/3993 दिनांक 18.06.2019 एवं शासन सचिव, महिला एंव बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ–16(4)(15) डी. डब्ल्यू.ई./sexual Harassment/19/14835 दिनांक 24 मई ,2019 की अनुपालना में महाविद्यालय में एक महिला उत्पीड़न निवारण समिति का गठन किया गया है.

यह समिति महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है. इस समिति में वरिष्ठ संकाय सदस्यों सामजिक कार्यकर्ताओं और 3 छात्र प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है. महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रायें अपनी शिकायत लेकर समिति से सम्पर्क कर सकती है.

सम्पर्क

प्रो.ममता चांवरिया,

13.अनुसूचित जाति एवं जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम समिति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ7(4) विविध/अकाद/आकाशि/2022/पार्ट/248 दिनांक 06.10.2022 की अनुपालना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथासंशोधित अधिनियम–2015 एवं 2016 के प्रावधानों की महाविद्यालयों में कठोरता से पालना हेतु निम्नांकित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है.

यह समिति महाविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की परिवेदनाओं को सुनती है और इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनको त्वरित गति से न्याय मिले और उनकी शिकायतों का शीघ्रातिशीघ्र निवारण हो. अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित कोई भी छात्र अपनी परिवेदना के संबंध में इस समिति से सम्पर्क कर सकता है.

सम्पर्क

प्रो.ममता चांवरिया,

14.महाविद्यालय पत्रिका एवं बुलेटिन

महाविद्यालय में प्रत्येक सत्र के अन्त में महाविद्यालय पत्रिका '**अंकुर**' का प्रकाशन किया जाता है. इस पत्रिका में कोई भी विद्यार्थी अपनी मौलिक रचना यथा कहानी, कविता, लेख या अन्य कोई भी साहित्यिक कृति प्रकाशन के लिए दे सकता है. मौलिक और प्रकाशन योग्य होने पर उस रचना को महाविद्यालय पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है. महाविद्यालय पत्रिका एक प्रकार से महाविद्यालय की रचनात्मक प्रतिभाओ को पनपने और निखरने का अवसर प्रदान करती है.

इसी प्रकार महाविद्यालय में त्रैमासिक 'कॉलेज बुलेटिन' का प्रकाशन भी किया जाता है जिसमें महाविद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रकाशित की जाती है. साहित्यिक और रचनात्मक रूचि रखने वाले लेखकीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति महाविद्वालय पत्रिका अंकुर और त्रैमासिक बुलेटिन के माध्यम से अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सामने ला सकते हैं

सम्पर्क

प्रो.मनीष रंजन

15 दूरस्थ शिक्षा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा का अध्ययन केंद्र महाविद्याजय में स्थापित किया गया है. यह अध्ययन केंद्र सभी तरह के पाठ्यक्रमों के आवेदन पत्र वर्ष में दो बार जून एवम् दिसम्बर माह में स्वीकार करता है. आठवीं / दसवीं / बारहवीं में अनुत्तीर्ण छात्र भी एक प्रारम्भिक पात्रता परीक्षा देकर स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के आधार पर वर्ष में दो बार जून एवम् दिसम्बर माह में परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं. इस संबंध में विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की शैक्षणिक शाखा से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है.

सम्पर्क

डॉ. मनीष रंजन

महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधायें

1. पुस्तकालय

महाविद्यालय में एक सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित पुस्तकालय है, जो अपने पाठकों के बौद्धिक और मानसिक विकास तथा संस्था के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। पुस्तकालय में पाठकों के लिए मुक्तद्वार प्रणाली अपनाई जा रही है। इसके तहत प्रत्येक पाठक, पुस्तक/पत्रिकाओं तक स्वयं जाकर अपनी वांछित पुस्तक/पत्रिका प्राप्त कर सकता है।

पुस्तकालय में विद्यार्थियों की सुविधा, अनुशासन एवं व्यवस्था की दृष्टि से अपनाए गए महत्त्वपूर्ण नियमों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनका निष्ठा से पालन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है।

पुस्तकालय नियम :

(1) पुस्तकालय में प्रवेश से पूर्व व्यक्तिगत पुस्तकें, फाइल, बैग आदि सामग्री निर्धारित स्थान पर रखें।

(2) पुस्तकालय में प्रवेश करते समय अपना परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य है। यह द्वारपाल या किसी भी प्रभारी द्वारा कभी भी मांगा या देखा जा सकता है। पुस्तकें, परिचयपत्र एवं पाठक पत्रक होने पर ही निर्गत होंगी।

(3) महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित विद्यार्थी को पुस्तकालय से निम्नानुसार पाठक पत्रक (Readers Ticket) मिलेंगे

(क) स्नातक कक्षा के छात्र 2 कार्ड (ख) ऑनर्स कक्षा के छात्र 3 कार्ड

(ग) स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र 4 कार्ड (विज्ञान स्नातकोत्तर छात्र 2 कार्ड)(घ) सभी डिप्लोमा कक्षा के छात्र 3 कार्ड

(4) पाठक पत्रक अहस्तांतरणीय है अर्थात् पाठक पत्रक जिस विद्यार्थी का है, उसका उपयोग केवल वही छात्र कर सकेगा।

(8) सत्र के अंत में परीक्षाएं होने से पूर्व पुस्तकालय की सभी पुस्तकें और पाठक–प्रपत्र लौटाना अनिवार्य है। किसी विद्यार्थी के पाठक पत्रक खो जाने पर यदि सत्र के अंत में पाठक पत्रक पर कोई पुस्तक निर्गत पाई जाती है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबधित छात्र का ही होगा। यदि खोए हुए पाठक–पत्रक पर कोई पुस्तक निर्गत नही पाई गई, तो प्रति पाठक–पत्रक रु. दस की राशि जमा करानी होगी।

(10) प्रत्येक पुस्तक 30 दिन की अवधि के लिए निर्गत होगी। देय तिथि के बाद प्रतिदिन प्रति पुस्तक 25 पैसे विलम्ब शुल्क लिया जाएगा। रविवार, राजपत्रित अवकाश, मध्यावधि अवकाश के मध्य यदि पुस्तक जमा

कराने की तारीख पड़ती है, तो अवकाश के तुरन्त पश्चात् महाविद्यालय खुलने वाले दिन पुस्तक जमा करा

दी जाए अन्यथा देय तिथि से सभी दिवसों का विलम्ब शुल्क वसूल किया जाएगा।

(11) प्रत्येक छात्र का उत्तरदायित्व है कि वह पुस्तकें लेते समय सावधानीपूर्वक देख लें कि पुस्तकें क्षतिग्रस्त या पृष्ठ कम तो नहीं है। पुस्तक क्षतिग्रस्त हो, तो तुरन्त पुस्तकालय कर्मचारी को बताएँ। पुस्तकें लौटाते समय यदि कोई पुस्तक चिह्नांकित, फटी हुई या क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई तो संबंधित विद्यार्थी को दोषी माना जाएगा तथा समुचित कारवाई की जाएगी।

(12) निम्नाकित श्रेणी की पाठ्यसामग्री पुस्तकालय से बाहर निर्गत नहीं होगी। इनका अध्ययन पुस्तकालय में 2 से 5 बजे तक परिचयपत्र देकर किया जा सकता है।

(क) संदर्भग्रंथ तथा आरक्षित पुस्तकें। (ख) पत्रपत्रिकाएँ। (ग) परीक्षाओं के प्रश्नपत्र, पाठ्यक्रम आदि।

(13) प्रत्येक सोमवार को निर्गमन कार्य बन्द रहेगा। एक पुस्तक का पुनः निर्गमन, पुस्तक जमा कराने के दूसरे दिन ही हो सकेगा।

(14) छात्र अपने पत्रक पर अपने पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें अथवा सामान्य पुस्तकें ही निर्गत करा सकेगा, दूसरे पाठ्यक्रम की पुस्तकें निर्गत नहीं की जा सकेंगी।

(14) पुस्तकालय की पुस्तक गुम हो जाने पर विद्यार्थी को नई पुस्तक/पुस्तक का दोगुना मूल्य या बाजार मूल्य (जो भी अधिक हो) जमा कराना होगा।

(15) प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि वह पुस्तक को सुरक्षित रखें। पुस्तक के पृष्ठ फाड़ना, निशान लगाना, गंदा करना, नाम लिखना अनैतिक तथा अभद्र कार्य है। दोषी विद्यार्थियों के प्रति कठोर कारवाई की
जाएगी।
(16) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्धारा प्रदत राशि से बुक बैंक स्थापित किया गया है। इसके द्वारा जरूरतमंद छात्रों को पूरे सत्र परीक्षाएं प्रारम्भ होने से पूर्व तक के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें निर्गत की जाती हैं, इसके लिए पृथक से आवेदनपत्र आमंत्रित किए जाएँगे और संबंधित सूचना व नियम पुस्तकालय सूचनापट पर लगाए जाएँगे।
(17) पुस्तकालय में वार्तालाप वर्जित है। विद्यार्थीयों को चाहिए कि वे मौन रहकर स्वाध्याय करें, ताकि अन्य पाठको के अध्ययन में व्यवधान न हो।

पुस्तकालय के साथ–साथ महाविद्यालय में पठन–पाठन और अध्ययन के लिए निम्न सुविधायें भी उपलब्ध है. महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं

1.बुक बैंक
प्रभारी–डॉ.राजकुमार खंडेलवाल

2.सामुदायिक पुस्तकालय
प्रभारी–डॉ.राजश्री सेठी

3.इनफिलिब नेट
प्रभारी–मनोज लाखन

2.महाविद्यालय छात्रावास

महाविद्यालय परिसर में ही 145 छात्रों के निवास हेतु छात्रावास भवन स्थित है। छात्रावास का संचालन प्राचार्य द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जाता है। छात्रावास में दो प्रकार के आवासीय कमरे हैं एक छात्र के रहने योग्य तथा तीन छात्रों के रहने योग्य। छात्रावास में प्रवेश प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति द्वारा अनुशंसा के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए छात्र को महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् निर्धारित अवधि में आवेदनपत्र प्रस्तुत करना होगा।

छात्रावास में प्रवेश नियम :

1. छात्रावास में केवल नियमित विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
2. गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित होगा।
3. विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश आवश्यक रूप से अकादमी वरीयता क्रम में दिया जाएगा।
4. जिस विद्यार्थी के विरूद्ध किसी आपराधिक मामले में पुलिस चालान पेश किया हुआ हो, उसे प्रवेश नहीं
दिया जाएगा।
5. वर्तमान सत्र या पूर्व सत्रों में रेगिंग के प्रकरणों में लिप्त पाए गए विद्यार्थी, जिन्हें महाविद्यालय प्रशासन
द्वारा दण्डित किया गया हो, प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
6. छात्रावास में प्रवेश, सत्र प्रारम्भ से ग्रीष्मावकाश तक या परीक्षा समाप्ति तक ही वैध रहेगा। इसके लिए विद्यार्थी जिसे प्रवेश दिया जाएगा उसे स्वयं तथा अपने अभिभावक से प्रवेश के समय लिखित वचनपत्र (अंडरटेकिंग) देना होगा कि वह अपने वर्तमान सत्र की अंतिम परीक्षा समाप्त होने के दो दिन के भीतर छात्रावास खाली कर देगा तथा लिखित सूचना वार्डन को भी प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय प्रशासन को छात्रावास जबरन खाली कराने का अधिकार होगा।

7. वे छात्र जो गत वर्ष छात्रावास में रह रहे थे और एकीकृत पाठ्यक्रम में अध्ययनरत थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते उनका व्यवहार पूर्व में उत्तम रहा हो एवं वे उपर्युक्त शर्ते पूरी करते हों।

8. नवीन प्रवेश के इच्छुक छात्र को अपना आवेदनपत्र महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के बाद एक सप्ताह की अवधि में महाविद्यालय कार्यालय में जमा कराना होगा।

9. छात्रावास में प्रवेश के बाद छात्र को नौकरी उपलब्ध हो जाए, तो वार्डन को सूचित कर उसे छात्रावास
अविलंब खाली करना होगा।

10. छात्रावास में प्रवेश लेनेवाले छात्र को छात्रावास शुल्क प्रवेश स्वीकृत होते ही एक साथ जमा कराना होगा। शुल्क जमा नहीं कराने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। पानी व बिजली के बिलों की राशि प्रविष्ट छात्रों की संख्या में बराबर बांटकर वसूल की जाएगी।

11. प्राचार्य या वार्डन की अनुमति के बिना छात्रावास में कोई भी सभा/भाषण/प्रदर्शन/खेल/तमाशा आदि का आयोजन निषिद्ध है।

12. यदि कोई छात्रावासी बिना अनुमति किसी गैर छात्रावासी के वाहन को छात्रावास परिसर में रखेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

13. छात्र द्वारा छात्रावास में अतिथियों या मित्रों को ठहराने के लिए वार्डन की पूर्वानुमति आवश्यक हैं। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।

छात्रावास शुल्क :

प्रवेश शुल्क 2.00 रू.
बर्तन शुल्क 5.00 रू. प्रतिवर्ष
सामान्य शुल्क 10.00 रू. प्रतिवर्ष
छात्रावास शुल्क 10.00 रू. प्रतिवर्ष

3. जलपानगृह :

महाविद्यालय में एक जलपानगृह है, जहाँ महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर जलपान सामग्री उपलब्ध होती है। यह महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का एक भाग है। छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि जलपानगृह में छात्रोचित शालीनता एवं सौहार्द बनाए रखेंगे।

विभिन्न कक्षाओं के प्रभारी परामर्शदाता

सत्र् 2022–23 में शैक्षणिक व सहशैक्षणिक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु निम्न संकाय सदस्यों को विभिन्न कक्षाओं के वॉट्सएप ग्रुप का मेन्टर नियुक्त किया जाता है। सभी मेन्टर अपने सदस्यों के साथ समन्वय करके सम्बन्धित कक्षाओं के वाट्सएप ग्रुप बनाकर उपर्युक्त कार्य सम्पादित करेंगे।

क्र. सं.	कक्षा	वर्ग	नाम संकाय सदस्य	मोबाइल नं.
1	B.Sc. Part I (Bio.)	A	डॉ. सीमा वर्मा	9411064081
		B	श्री धर्मेन्द्र चौधरी	9460330565
		C	श्रीमती प्रतिभा	9460473637
2	B.Sc. Part I (Maths)	A	डॉ. शैलेन्द्र जैन	9414736077
		B	श्री मनोज लाखन	9460707379
		C	श्री अमन जैन	9460655931
3	B.Sc. Part II (Bio.)	A	डॉ. प्रतिभा पारीक	9414677718
		B	डॉ. अवनीश शर्मा	9413134670
4	B.Sc. Part II (Maths)	A	श्रीमती सुनीता चौधरी	9461264275
		B	डॉ. सौरभ सिंह	7597303507
5	B.Sc. Part III (Bio.)	A	श्रीमती फरजाना अहमद	9413704896
		B	श्री राजूराम घांसी	7976204228
6	B.Sc. Part III (Maths)	A	डॉ. कमोद सिंह मीणा	9414851557
		B	श्रीमती अमिता सारस्वत	8005634823
7	B.A. Part I	A, B	डॉ. सुमन पलासिया	9829041007
		C, D	डॉ. सविता टांक	9413994131
		E, F	श्रीमती सुमन मीणा	9982383315
		G, H	श्री शिवराज चौधरी	9983335525
		I, J	श्री प्रवीण कुमार जोशी	9829250561

		K, L	श्री हरि लाल बलाई	8107070796
		M, N	सुश्री अनुजा कटारा	8377843885
		A, B, C	डॉ. वी.के. लोयल	9460995229
	B.A. Part II	D, E, F	डॉ. कुमार कार्तिकेय	9414262066
8		G, H, I	डॉ. आर.एस.चौहान	9460302032
		J, K, L	श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर	8239614260
		A, B, C	डॉ. देवकान्ता शर्मा	9829578079
		D, E, F	डॉ. अनन्त दाधीच	9414960252
9	B.A. Part III	G, H, I	श्री मोहन लाल खटीक	9667808389
		J, K, L	डॉ. विशाल तिवाडी	9214435777
10	B.Com Part I	A, B, C	श्री पंकज कुमार भलावत	9783882174
		D, E, F	श्रीमती विनीता निर्वाण	9828552325
11	B.Com Part II	A, B	श्री दीपक कुमार बसेर	9829820003
		C, D	डॉ. ज्योति आचार्य	9460573113
12	B.Com Part III	A, B	सुश्री आशा पाण्डे	9530489333
		C, D	श्री अब्दुल हक	9214918016
13	M.A. Geog. (P. & F.), B.A. Hons. (I,II, III) Geog.	PG	डॉ. आर.एस. यादव	9414222468
14	M.A. Eco. (P. & F.), B.A. Hons. (I,II,III) Eco.	PG	श्रीमती सुमन मीणा	9982383315
15	M.A. Hindi (P. & F.)	PG	डॉ. मनीष रंजन	8851162090
16	M.A. English (P. & F.)	PG	डॉ. अनन्त दाधीच	7976711356
17	M.A. Hist. (P. & F.)	PG	डॉ. राजश्री सेठी	9680760706

18	M.A. Pol. Sc.(P.& F.)	PG	डॉ. पयोद जोशी	9414980940
19	M.A. Pub.Ad.(P.& F.)	PG	डॉ. धर्मेन्द्र मिश्रा	8952819001
20	M.A. Socio. (P.& F.)	PG	डॉ. एच.एन. व्यास	9414740195
21	M.Com. ABST (P. & F.)	PG	श्री सुमित कच्छारा	9929492196
22	M.Com. Bus. Ad. (P. & F.)	PG	श्री पंकज कुमार भलावत	9783882174
23	M.Com. EAFM (P. & F.)	PG	डॉ. चेतना कुमावत	7742853637
24	M.Sc. Bot. (P. & F.)	PG	डॉ. के.एल. मीणा	9414978534
25	M.Sc. Phy. (P. & F.)	PG	डॉ. एस.सी. तिवाडी	9414271811
26	M.Sc. Chem. (P. & F.)	PG	डॉ. आर.के. खण्डेलवाल	9414978635
27	M.Sc. Maths (P. & F.)	PG	श्री अजय आसेरी	7877745608
28	M.Sc. Zool. (P. & F.)	PG	डॉ. आर.के. सांसी	9414202537

समय सारणी

Time TableCommerce

Time Table 2021-2022 Effective from : 01.09.202

Class	8 to 9				9 to 10				10 to 11				11 to 12				12 to 1			
	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room
B.Com. Part I A	ABST				BADM				BFM				GH	1,2	X		ABST	3--4	X	
	|	1--3	D.K.B.	21	|	1--3	A.H.	21	|	1--3	X		GE	3,4	X		BFM	5	X	
	||	4--6	X		||	4--6	A.H.	21	||	4--6	X		Env	5,6	X		BADM	6	X	
B.Com. Part I B	ABST				BADM				BFM				GH	5--6	X					
	|	1--3	X		|	1--3	X		|	1--3	V.N.	16	GE	1,2	X					
	||	4--6	D.K.B.	21	||	4--6	J.A.	16	||	4--6	P.B.	16	Env	3,4	X					
B.Com. Part I C	BFM				BADM				ABST				GH	3,4	X					
	|	1--3	C.K.	16	|	1--3	J.A.	16	|	1--3	X		GE	5,6	X					
	||	4--6	X		||	4--6	X		||	4--6	X		Env	1,2	X					
B.Com. Part I D	BFM				ABST				BADM				GH	1,2	X					
	|	1--3	X		|	1--3	X		|	1--3	X		GE	3,4	X					
	||	4--6	C.K.	16	||	4--6	X		||	4--6	A.P.	21	Env	5,6	X					
B.Com. Part I E	BFM				ABST				BADM				GH	5--6	X					
	|	1--3	X	65	|	1--3	X		|	1--3	X		GE	1,2	X					
	||	4--6	X		||	4--6	X		||	4--6	J.A.	29	Env	3,4	X					
B.Com. Part I F	BFM				ABST				BADM				GH	3,4	X					
	|	1--3	X		|	1--3	X		|	1--3	A.P.	21	GE	5,6	X					
	||	4--6	X	65	||	4--6	X		||	4--6	X		Env	1,2	X					
B.Com. Part I G	BADM				BFM				ABST				GH	1,2	X					
	|	1--3	A.P.	29	|	1--3	X		|	1--3	X		GE	3,4	X					
	||	4--6	A.H.	29	||	4--6	X		||	4--6	S.K.	65	Env	5,6	X					

Time Table Arts

Time Table 2021-2022 — **Effective from : 01.09.2021**

Class	10 to 11				11 to 12				12 to 1				1 to 2				2 to 3				3 to 4				4 to 5			
	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room
B.A. Part I A	GH	1,2	X		Geo Gp.A				Pol. Gp.A				Soc. Gp.A				Hin. Gp.A				Geog PR							
	GE	3,4	C.S.		I	1--3	X		I	1--3	X		I	1--3	X		I	1--3	PKJ		B1	1--3	RSC	46				
	Env.	5,6	X		II	4--6	X		II	4--6	S.U.	21	II	4--6	X		II	4--6	MR	109		4	X					
					Hist. Gp.A				Pub.Ad. Gp.A				Eco.Gp.A				Eng. Gp.A				B2	1--4	X					
					I	1--3	AK	120	I	1--3	DKS	16	I	1--3	SM	113	I	1--3	AD	118								
					II	4--6	X		II	4--6	SKS	46	II	4--6	X		II	4--6	X									
B.A. Part I B	GH	1,2	X		Geo Gp.B				Pol. Gp.B				Soc. Gp.B				Hin. Gp.B								Geog PR			
	GE	3,4	X		P-I	1--3	SA	46	I	1--3	MC	47	I	1--3	X		I	1--3	X						B3	1--4	SA	
	Env.	5,6	X		P-II	4--6	X		II	4--6	X		II	4--6	X		II	4--6	X						B4	1--4	X	
					Hist. Gp.B				Pub.Ad. Gp.B				Eco.Gp.B				Sanskrit Gp. A											
					I	1--3	X		I	1--3	SRC		I	1--3	X		I	1--3	X	119								
					II	4--6	RS	46	II	4--6	X		II	4--6	SM	113	II	4--6	X	119								
B.A. Part I C	GH	1,2	X		Geo Gp.C				Pol. Gp.C				Soc. Gp.C				Hin. Gp.C				Geog PR							
	GE	3,4	X		P-I	1--3	X		I	1--3	PJ	16	I	1--3	MU	51	I	1--3	SP	51	B5	1--2	X					
	Env.	5,6	X		P-II	4--6	RSC	65	II	4--6	X		II	4--6	X		II	4--6	PKJ	51		3,4	X					
					Hist. Gp.C				Pub.Ad. Gp.C												B6	1--4	X					
					II	1--3	VT		II	1--3	X																	
					I	4--6	VT		I	4--6	GCB	49																
B.A. Part I D	GH	1,2	X		Geo Gp.D				Pol. Gp.D				Soc. Gp.D				Hin. Gp.D				Geog PR				Geog PR			
	GE	3,4	X		P-I	1--3	RSY	64	I	1--3	X		I	1--3	X		I	1--2	ST	110	B7	1--3	LG	49	B8	1--4	X	
	Env.	5,6	X		P-II	4--6	LG	64	II	4--6	X		II	4--6	MU	51	I	3	X			4	X					
					Hist. Gp.D				Pub.Ad. Gp.D								II	4--6	X									
					I	1--3	HLB		II	1--3	X																	
					II	4--6	X		I	4--6	X																	
B.A. Part I E	GH	1,2	X		Geo Gp.E				Pol. Gp.E				Soc. Gp.E				Hin. Gp.E				Geog PR							
	GE	3,4	X		P-I	1--3	VKL	66	I	1--3	X		I	1--3	HNV	66	I	1--3	X		B9	1--3	VKL					
	Env.	5,6	X		P-II	4--6	KK	66	II	4--6	MC	47	II	4--6	X		II	4--6	X			4	X					
					Hist. Gp.E																B10	1--4	X					
					II	1--3	X																					
					I	4--6	X																					

M.L.V. Govt. College, BHILWARA

Science 1

Time Table 2021-2022 — Effective from : 01.09.2021

Class	10 to 11				11 to 12				12 to 1				1 to 2				2 to 3				3 to 4				4 to 5			
	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room	Sub	Days	Teacher	Room
B.Sc. Part I A Maths	Maths			101	Maths				Physics				Practicals		M1		M2		M3		Chem.				GH	1,2		
	III	1--3	x		III	1--3	AA	123	II	1,2	GN	123	1,2		C- AS,X				P	ML	I	1,2	AS	47	GE	3,4		
					I	4--6	AA	123	I	3,4	X		3,4		P	X	C- X, SS				II	3,4	X		Env.	5,6		
									III	5,6	X		5,6				P	X	C- X, AT		III	5,6	X					
B.Sc. Part I B Maths	Maths				Maths				Physics				Practicals		M4		M5		M6		Chem.				GH	5,6		
		1--3	x		III	1-3,6	x		II	1,2	X		1,2		C- X,AS				P	X	I	1,2	X		GE	1,2		
					II	4,5	X		III	3,4	ML	123	3,4		P	SG	C- AS, X				II	3,4	SS	47	Env.	3,4		
									I	5,6	X		5,6				P	X	C- X, X		III	5,6	X					
B.Sc. Part I C Maths	Maths				Maths				Physics				Practicals		M7		M8		M9		Chem.				GH	3,4		
		1,2,3	x		II	1	X		II	1,2	X		1,2		C-RKK, X				P	X	I	1,2	X		GE	5,6		
					II	2,3	X		III	3,4	X		3,4		P	X	C- X,X				II	3,4	X		Env.	1,2		
						4--6	X		I	5,6	SG	123	5,6				P	SCH	C- X,AJ		III	5,6	KSM	47				
B.Sc. Part I D Bio	GH	1,2			Practicals		B1		B2		B3		Zoology				Chem.				Bot.							
	GE	3,4			1,2		C-RKK, MC		Z-FA,X		B-	JS,DC	I	1,2	FA	101	I	1,2	AT	101		1,2	JS	101				
	Env.	5,6			3,4		B-	KM,D	C- AJ, X		Z- PP,X		II	3,4	PP	101	III	3,4	X			3,4	KM	101				
					5,6		Z-KCN,X		B-	PB,JS	C- KSM, X		III	5,6	KCN	101	II	5,6	X			5,6	X					
B.Sc. Part I E Bio	GH	5,6			Practicals		B4		B5		B6		Zoology				Chem.				Bot.							
	GE	1,2			1,2		C- X, AT		Z-X5,KCN		B-	PT,JS	II	1,2	PP	65	I	1,2	X			1,2	DC	65				
	Env.	3,4			3,4		B-JS,KM		C- MC,SS		Z- X1,PP		I	3,4	FA	65	III	3,4	RKK	101		3,4	X					
					5,6		Z-X6,KCN,		B-	VC,KN	C-SS, X		III	5,6	X4		II	5,6	X			5,6	KM	65				
B.Sc. Part I F Bio	GH	3,4			Practicals		B7		B8		B9		Zoology				Chem.				Bot.							
	GE	5,6			1,2		C-AS, X		Z-X3,FA		B-	DC,KM	III	1,2	X3		I	1,2				1,2	X					
	Env.	1,2			3,4		B-	DC,RK	C- SS, X		Z- X5,		II	3,4	KCN		III	3,4				3,4	JS	65				
					5,6		Z-SV,X3		B-	DC,PK	C- PP,X		I	5,6	BD,X3	65	II	5,6	SJ	101		5,6	DC	101				

महाविद्यालय परिवार

कला संकाय

समाजशास्त्र विभाग (स्वीकृत पद 8)

डॉ.हेमेन्द्रनाथ व्यास	सह आचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग (स्वीकृत पद 7)

श्रीमती ममता चांवरिया	सह आचार्य
डॉ. पयोद जोशी	सह आचार्य

भूगोल विभाग (स्वीकृत पद 13)

डॉ.संतोष आनंद	सह आचार्य
डॉ.राजेन्द्रसिंहयादव	सह आचार्य
डॉ. विजयकुमार लोयल	सह आचार्य
डॉ. कुमार कार्तिकेय	सह आचार्य
श्री राजेन्द्रसिंह चौहान	सह आचार्य
श्री लक्ष्मण लाल गुर्जर	सहायक आचार्य

अर्थशास्त्र विभाग (स्वीकृत पद 4)

डॉ. रमेशचन्द्र कीर	सह आचार्य
श्रीमती सुमन मीणा	सहायक आचार्य

हिंदी विभाग (स्वीकृत पद 7)

डॉ. मनीष रंजन	सह आचार्य
डॉ. (श्रीमती)सुमन पलासिया	सह आचार्य
डॉ. (श्रीमती)सविता टाक	सह आचार्य
डॉ. बनवारीलाल आर्य	सहायक आचार्य
श्री प्रवीण कुमार जोशी	सहायक आचार्य

अंग्रेजी विभाग (स्वीकृत पद 5)

डॉ. अनन्त दाधीच	सहायक आचार्य

इतिहास विभाग (स्वीकृत पद 6)

श्रीमती राजश्री सेठी	सहायक आचार्य
सुश्री अनुजा कटारा	सहायक आचार्य
श्री हरिराम बलाई	सहायक आचार्य

लोकप्रशासन विभाग (स्वीकृत पद 6)

डॉ. धर्मेन्द्र मिश्रा	सह आचार्य
डॉ. (श्रीमती)देवकांता शर्मा	सह आचार्य
डॉ. ज्ञानचन्द भारती	सह आचार्य
श्री शिवराज चौधरी	सहायक आचार्य

संस्कृत विभाग (स्वीकृत पद 6)

मोहन लाल खटीक	सहायक आचार्य

वाणिज्य संकाय

लेखा एवं सांख्यिकी विभाग (स्वीकृत पद 12)

श्री सुमित कच्छारा	सहायक आचार्य
श्री दीपक कुमार बसेर	सहायक आचार्य

व्यावसायिक प्रशासन विभाग (स्वीकृत पद 10)

रिक्त

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध (स्वीकृत पद 9)

डॉ. (सुश्री)चेतना कुमावत	सहायक आचार्य
श्री पंकज कुमार भलावत	सहायक आचार्य

विज्ञान संकाय

भौतिकशास्त्र विभाग (स्वीकृत पद 10)

डॉ. सुरेशचन्द्र तिवारी	सह आचार्य
डॉ. विजय पंचोली	सह आचार्य
श्री घनश्याम नुवाल	सह आचार्य
श्रीमती सुनिता चौधरी	सह आचार्य
श्री मनोज लाखन	सहायक आचार्य
डॉ. संजय गोदारा	सहायक आचार्य

रसायनशास्त्र विभाग (स्वीकृत पद 14)

डॉ. राजकुमार खंडेलवाल	सह आचार्य
डॉ. शैलेन्द्र जैन	सह आचार्य
डॉ. अवनीश शर्मा	सहायक आचार्य
डॉ. कमोदसिंह मीणा	सहायक आचार्य
डॉ. सौरभ सिंह	सहायक आचार्य
श्री अमन जैन	सहायक आचार्य

वनस्पतिशास्त्र विभाग (स्वीकृत पद 10)

डॉ. भगवती लाल जागेटिया	सह आचार्य
डॉ. कन्हैयालाल मीणा	सह आचार्य
डॉ. (श्रीमती) कांता मीणा	सहायक आचार्य
श्री राजू राम घांसी	सहायक आचार्य
श्रीमति विमला (प्रतिनियुक्ति)	सहायक आचार्य
श्री धर्मेन्द्र चौधरी	सहायक आचार्य
श्री प्रवीण कुमार टाक	सहायक आचार्य
श्रीमति प्रतिभा	सहायक आचार्य

प्राणी शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद 10)

डॉ. राजेंद्र कुमार सांसी	सह आचार्य
श्री भगवान दास	सह आचार्य
डॉ. (श्रीमती) प्रतिभा पारीक	सह आचार्य
डॉ. अनिलकुमार त्रिपाठी	सह आचार्य
डॉ. फरजाना अहमद	सह आचार्य
डॉ. (श्रीमती) सीमा वर्मा	सह आचार्य
डॉ. अश्विनीकुमार जोशी	सहायक आचार्य
डॉ. कैलाशचन्द्र नागर	सहायक आचार्य

गणित विभाग (स्वीकृत पद 5)

श्री अजय असेरी	सहायक आचार्य

पुस्तकालय विभाग (स्वीकृत पद 1)– रिक्त

खेल विभाग (स्वीकृत पद 2)– रिक्त

मंत्रालयिक कर्मचारी

लेखाधिकारी
श्री श्रीनिवास गुप्ता

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
श्री सुनील सोनी

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
श्री भानुप्रताप सिंह राठौड़

वरिष्ठ सहायक
श्री तनसुखलाल खटीक

अधीनस्थ कर्मचारी

वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक
श्री रामजस खटीक
श्री अमृत लाल जीनगर
श्री राधेश्याम ओझा

चतुर्थश्रेणी कर्मचारी
श्री रघुनाथ शर्मा
श्रीमती मेरुनिशा

प्रयोगशाला सहायक
श्री मदनलाल बलाई
श्री सुरेशचन्द चंदेरिया
श्री आजाद पुष्पेन्द्र त्रिपाठी
श्री संदीप खोईवाल
श्री मनीष डोसी
श्री कमल कुमार धोबी
श्री विक्रम सिंह राठौड़
श्री गोपाल मीणा

कलाकार
श्री गणेशलाल भूषण

टेक्सोडरमिस्ट
श्री शिवराम सांखला

कार्यशाला सहायक

जमादार
श्री हाजी मोहम्मद

एनीमल केचर

बुकलिफ्टर
श्री देवीलाल माली

प्रयोगशाला सेवक
श्री जगदीशचन्द्र राव

बागवान
रिक्त

फर्राश
रिक्त

जमादार
रिक्त

म्यूजियम कीपर
रिक्त

मेकैनिक
रिक्त